मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 9877/22/वि–7/एनआरजी/2007 भोपाल , दिनांक 25/06/2007

प्रति,

1. **जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
एवं कलेक्टर
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश

2. **अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश

3. **कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)**
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश

जिला – श्योपुर, छतरपुर, मंडला, शहडोल, बालाघाट, शिवपुरी, बैतूल, खरगोन, सिवनी, डिण्डोरी, टीकमगढ़, खण्डवा, धार, झाबुआ, बड़वानी, सतना, सीधी, उमरिया, गुना अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा, छिन्दवाड़ा, देवास, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, राजगढ़ एवं कटनी (म.प्र.)

विषय–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के अन्तर्गत शामिल जिलों में ''वृक्षारोपण गतिविधि'' तथा ''उद्यानिकी विकास गतिविधि'' के अंतर्गत शहतूत प्रजाति के रोपण व रेशम उत्पादन हेतु ''रेशम उपयोजना'' की आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में ।

1. <u>पृष्ठभूमि</u> :–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्यो में वृक्षारोपण गतिविधि तथा चिन्हित वर्ग के हितग्राही परिवारों की निजी भूमि पर फलोद्यान विकास को सम्मिलित किया गया है । इस परिप्रेक्ष्य में अन्य प्रजातियों के वृक्षों के अतिरिक्त शहतूत प्रजाति का वृक्षारोपण बहुउद्देशीय गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है । शहतूत का वृक्षारोपण सिंचाई आधारित अथवा वर्षा आधारित दोनों प्रकार से किया जा सकता है।

शहतूत उद्यानिकी प्रजाति का एक ऐसा वृक्ष है जिसे उपजाउ भूमि के अतिरिक्त पड़त भूमि पर सफलता पूर्वक लगाकर फलोद्यान विकसित कर फल प्राप्त किये जा सकते हैं।

शहतूत की पत्तियां तोड़कर इन पत्तियों पर कीटपालन कर रेशम उत्पादन भी किया जा सकता है। शहतूत की पत्तियों से रेशम उत्पादन एक नगद फसल है। सिंचाई आधारित वृक्षारोपण से वर्ष में 5 फसलें तथा वर्षा आधारित वृक्षारोपण से वर्ष में 3 फसलें प्राप्त की जा सकती है । रेशम कोसा का औसत बाजार मूल्य लगभग रू. 80 प्रति किलोग्राम से रू. 180 प्रति किलोग्राम है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में रेशम उत्पादन ग्रामीणों के लिए आजीविका का बेहतर साधन हो सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहतूत का वृक्षारोपण तथा इससे रेशम उत्पादन की गतिविधियों से स्वसहायता समूहों (विशेषकर संसाधनहीन महिलाओं के) को भी संबंद्ध किया जा सकता है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश में वृक्षारोपण गतिविधि तथा चिन्हित हितग्राहियों के लिए फलोद्यान विकास की गतिविधि के अन्तर्गत शहतूत के वृक्षारोपण हेतु यह निर्देश जारी किये जा रहे है । शहतूत के वृक्षों के विकसित होने पर द्वितीयक गतिविधि के रूप में रेशम उत्पादन का कार्य अन्य योजनाओं से संयोजन (Convergence) कर अथवा हितग्राही/स्वसहायता समूह द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जा सकता है।

2. आयोजना :–

2.1 गतिविधि का स्वरूप :–

शहतूत वृक्षारोपण व कालांतर में रेशम उत्पादन की गतिविधि निम्न दो स्वरूपों में ली जा सकती है :–

1. स्वसहायता समूह गठित कर इनके माध्यम से शासकीय भूमि व सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण तथा द्वितीयक गतिविधि के रूप में रेशम उत्पादन
2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग, गरीबी की रेखा के नीचे, भूमि सुधार (Land reform), इंदिरा आवास योजना के हितग्राही परिवारों द्वारा धारित निजी भूमि पर वृक्षारोपण कर फलोद्यान विकास तथा ऐसे हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल गठित कर द्वितीयक गतिविधि के रूप में रेशम उत्पादन

2.2 क्षेत्र चयन :–

रेशम संचालनालय द्वारा रेशम उत्पादन के लिए बैतूल, गुना, धार, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, सीधी, देवास, झाबुआ, खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी, बालाघाट, हरदा, छिन्दवाड़ा, कटनी एवं बुरहानपुर जिलों को अनुशंसित किया

गया है। अतः इन जिलो में शहतूत का वृक्षारोपण किया जाये। पैरा 2.1 में उल्लेखित गतिविधि के स्वरूप के दृष्टिगत शहतूत वृक्षारोपण के लिए क्षेत्र चयन निम्नानुसार किया जायेगा :–

1. राजस्व भूमि, वन भूमि, पंचायत भूमि/सामुदायिक भूमि पर शहतूत का वृक्षारोपण किये जाने हेतु किये जाने हेतु उपयुक्त क्षेत्र का चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। चयनित क्षेत्र एक स्थान पर न होकर सुलभ उपलब्धता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर भी हो सकता है।
2. शहतूत उद्यानिकी प्रजाति का पौधा है। अतः निम्न वर्ग के हितग्राहियों की निजी भूमि/क्षेत्र का भी चयन शहतूत वृक्षारोपण हेतु किया जा सकेगा :–
   - अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के परिवार
   - गरीबी की रेखा के नीचे के परिवार
   - भूमि सुधार (Land reform) के हितग्राही
   - इंदिरा आवास योजना के हितग्राही

   निजी भूमि पर शहतूत के वृक्षारोपण हेतु हितग्राहियों की पात्रता, पात्र हितग्राहियों के चयन तथा पौध रोपण हेतु इन हितग्राहियों द्वारा धारित भूमि के निर्धारण/क्षेत्र चयन हेतु नंदन फलोद्यान उपयोजना के संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश क्र.6673/22/वि–7/एन.आर.ई.जी./07 दिनांक 20/04/2007 के संबंधित प्रावधान यथावत लागू होंगे।

2.3 प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना :–

2.3.1 यदि चयनित क्षेत्र शासकीय/पंचायत/सामुदायिक भूमि है तो चयनित क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर रोपित किये जा सकने वाले पौधों की संख्या का आकलन कर प्राक्कलन तैयार कर शहतूत वृक्षारोपण की प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपयंत्री द्वारा तैयार की जायेगी। यदि प्रस्तावित वृक्षारोपण सिंचाई आधारित है तो चयनित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई स्त्रोतों जैसे कुआं/लघु तालाब/स्टाप डेम की लागत का प्रावधान भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में किया जायेगा।

2.3.2 यदि चयनित क्षेत्र निजी भूमि है तो शहतूत वृक्षारोपण की प्रोजेक्ट रिपोर्ट नंदन फलोद्यान उपयोजना के संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश क्र.6673/22/वि–7/एन. आर.ई.जी./2007, दिनांक 20/04/2007 के प्रावधानों अनुसार पात्र व चयनित

हितग्राहियों से प्रस्ताव प्राप्त कर, चयनित हितग्राहियों के लिए गतिविधि के स्वरूप का निर्धारण कर, वृक्षारोपण पद्धति का निर्धारण कर, सिंचाई क्षमता का आकलन कर तैयार की जायेगी। यदि प्रस्तावित वृक्षारोपण सिंचाई आधारित है और भूमि स्वामी के पास सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध नहीं हैं तो उनके प्रकरणों में उपयंत्री द्वारा तदाशय का स्पष्ट उल्लेख प्रोजेक्ट रिपोर्ट में किया जायेगा। इसके आधार पर ग्राम पंचायत संबंधित भू–स्वामियों के लिए ''कपिलधारा उपयोजना'' के प्रावधानों (इस विभाग के आदेश क्र. 6077/22/वि–9/आरजीएम/07 भोपाल दिनांक 7.4.2007) के अनुरूप सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध कराने का कार्य प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल कर करायेगी।

2.3.3 उक्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट के प्राक्कलन में पौध रोपण की तैयारी, पौधरोपण तथा रख रखाव पर होने वाले व्यय का समावेश किया जायेगा। यदि वृक्षारोपण हेतु नर्सरी भी विकसित की जानी है तो तद्नुरूप होने वाले व्यय का समावेश भी प्राक्कलन में किया जायेगा। शहतूत वृक्षारोपण हेतु सांकेतिक इकाई लागत **अनुलग्नक – 1** पर दर्शाई गई है। यह इकाई लागत पूर्णतः सांकेतिक है। अतः स्थानीय परिस्थितियों व दर के अनुरूप प्राक्कलन तैयार करायें।

2.3.4 उपरोक्तानुसार प्राक्कलन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार कराने में संबंधित स्थानीय रेशम अधिकारी अथवा वन विभाग के स्थानीय अधिकारी का सहयोग लिया जाये।

3. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अनुमोदन व स्वीकृतियां : –

3.1 उपरोक्तानुसार शहतूत वृक्षारोपण की तैयार की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट ग्राम पंचायत को प्रेषित की जायेगी। ग्राम पंचायत अपनी बैठक में ऐसी सभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अनुमोदन करेगी। तत्पश्चात् इसका अनुमोदन जनपद एवं जिला पंचायत से कराया जावेगा। त्रि–स्तरीय पंचायत से अनुमोदित शहतूत वृक्षारोपण की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ही ''शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट'' में शामिल किया जावेगा।

3.2 निजी भूमि पर सिंचाई आधारित शहतूत वृक्षारोपण के प्रकरणों में ऐसे हितग्राही जिनके पास सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध नहीं हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ ''कपिल धारा उपयोजना'' के प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदित व स्वीकृत कार्य भी ''शेल्फ आफ प्रोजेक्ट'' में शामिल किया जायेगा।

3.3 शहतूत वृक्षारोपण के कार्यों की प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप जारी की जायेगी।

4. <u>क्रियान्वयन व गुणवत्ता</u> :–

4.1 क्रियान्वयन एजेंसी :

4.1.1 शहतूत वृक्षारोपण के उपरोक्तानुसार अनुमोदित व प्रशासकीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत को योजना मद से आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जा जायेगी। कार्य का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। कार्यों का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र 3136/22/वि–7/एमपीआरईजीएस/2007 दिनांक 20.2.2007 के अनुसार स्वसहायता समूहों के द्वारा भी ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षण में किया जा सकता है। परन्तु ऐसे स्वसहायता समूह प्रथम ग्रेड उत्तीर्ण होना चाहिए।

4.1.2 शासकीय भूमि पर शहतूत वृक्षारोपण लिये जाने पर यदि ग्राम पंचायत चाहे तो कार्य का क्रियान्वयन निम्नानुसार अन्य को क्रियान्वयन एजेंसी बनाकर करा सकती है :–

4.1.2.1 गैर वन पड़त भूमि के विकास व उपयोग के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्र क्र.1873–एफ–4–7/96/सात/2ए दिनांक 4.10.2006 द्वारा नई नीति निर्धारित की गई है। इस नीति की कंडिका 3.2.4 में भूमिहीन व्यक्तियों के स्वसहायता समूहों को भी गैर वन पड़त भूमि के वंटन का प्रावधान किया गया है। इस नीति की कंडिका 1.1 के अनुरूप गैर वन पड़त भूमि का वंटन स्वसहायता समूहों को किया जाकर, शहतूत वृक्षारोपण के कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षण में इन समूहों से क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कराया जा सकता है। कालांतर में यह स्वसहायता समूह शहतूत के विकसित वृक्षारोपण से रेशम उत्पादन की गतिविधि से भी संबंद्ध किये जा सकते हैं।

4.1.2.2 छोटे बड़े झाड़ के जंगलों के प्रबंधन में स्वसहायता समूहों को संबद्ध किये जाने के संबंध में राजस्व विभाग, वन विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के

संयुक्त हस्ताक्षर से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्र क्र. 8604/वि–6/22/2003 दिनांक 31.7.2003 में प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों के अनुरूप छोटे बड़े झाड़ के जंगल की भूमि पर शहतूत के रोपण के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी तथा लाभों के विदोहन हेतु स्वसहायता समूहों को संबद्ध किया जा सकता है। कालांतर में यह स्वसहायता समूह शहतूत के विकसित वृक्षारोपण से रेशम उत्पादन की गतिविधि से भी संबंद्ध किये जा सकते हैं।

4.1.2.3 वन भूमि पर शहतूत के रोपण के कार्यों का क्रियान्वयन संयुक्त वन प्रबंधन संबंधी शासन निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप संयुक्त वन प्रबंध समितियों से ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षण में क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कराया जा सकता है।

4.2 ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि शहतूत वृक्षारोपण के कार्यों का क्रियान्वयन निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण किया जाये और तकनीकी रूप से गुणवत्तापूर्ण हो। कार्य की गुणवत्ता के संदर्भ में किसी भी स्थिति में कोई समझौता न किया जाये। अधूरे कार्य को किसी भी स्थिति में पूर्ण मानकर समाप्त न किया जाये।

4.3 शहतूत के वृक्षारोपण के कार्यों हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग रेशम संचालनालय तथा वन विभाग के जिले/ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ तकनीकी अमले द्वारा प्रदान किया जायेगा।

4.4 शहतूत वृक्षारोपण (वर्षा आधारित तथा सिंचाई आधारित) की प्रक्रिया के संबंध में संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक – 2** पर दिया गया है।

4.5 शहतूत वृक्षारोपण के कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मध्यप्रदेश के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होंगे।

4.6 विभाग के आदेश क्र.3665/22/वि–7/ग्रा.यां.से./06 दिनांक 22.6.2006 में ग्रामीण विकास विभाग के तहत किये जाने वाले कार्यों का Exit Protocol तैयार किये जाने बाबत् दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप शहतूत वृक्षारोपण के कार्यों का Exit Protocol अनिवार्यतः संधारित किया जाये।

5. शहतूत के रोपण हेतु पौध की व्यवस्था :

शहतूत वृक्षारोपण के लिए श्रेष्ठ एवं उत्तम किस्म की पौध उपलब्ध कराने का दायित्व ग्राम पंचायत का होगा। इस हेतु ग्राम पंचायत शासकीय विभाग अथवा शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/उपक्रम से इन विभाग/संस्थाओं द्वारा निर्धारित दर पर पौध का क्रय कर सकेंगी। ग्राम पंचायत स्वसहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर शहतूत के पौधों की नर्सरी भी विकसित कर सकती है। नर्सरी विकास के संबंध में आवश्यक विवरण अनुलग्नक – 2 में ही दिया गया है।

उक्त के अनुक्रम में शहतूत वृक्षारोपण हेतु रोपित किये जाने वाले पौधों की आवश्यकता का आकलन करना अत्यन्त आवश्यक है। यह आकलन ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर किया जायेगा। चूंकि वृक्षारोपण के उपरांत कुछ पौधे जीवित नहीं रह पाते हैं, अतः 10% से 20% अतिरिक्त पौधों का प्रबंध रखा जाना उचित होगा।

6. तैयार शहतूत वृक्षों से रेशम पालन की प्रक्रिया :–

शहतूत के तैयार वृक्षों से पत्ती की उपलब्धता के आधार पर रेशम का कीटपालन किया जा सकता है। इस हेतु रेशम के कीड़े को कृमिपालन भवन में रखकर शहतूत की पत्तियां खिलाई जाती हैं। एक मादा तितली से प्राप्त होने वाले अण्डों को पालने के लिए लगभग 11 – 12 किलोग्राम पत्ती की आवश्यकता होती है, जिससे 500 ग्राम रेशम बनता है। रेशम पालन के लिये उचित वातायन का कृमिपालन भवन, वांछित उपकरण तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। राज्य में रेशम पालन का कार्य रेशम संचालनालय के द्वारा जिले में पदस्थ अमले के माध्यम से किया जाता है। योजना के अन्तर्गत रेशम पालन के लिये अण्डे संचालनालय के द्वारा उपलब्ध कराये जाते है तथा उत्पादित रेशम का विपणन का मध्यप्रदेश सिल्क फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। लिंकेजेस उपलब्ध कराने के लिये जिले में पदस्थ जिला रेशम अधिकारी अथवा मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत , स्वसहायता समूहों की मदद करेंगे। इस हेतु जिले का वक्रिंग प्लान बनाया जावे ताकि राज्य स्तर से भी समन्वय किया जा सके। प्रशिक्षण का कार्य स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अथवा बी.आर.जी.एफ योजना से किया जावे ।

7. अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

7.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा रेशम उपयोजना के कम से कम से 10% कार्यों की समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण आयोजना व क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जायेगी।

7.2 परियोजना अधिकारी (तकनीकी) द्वारा सभी विकासखण्डों में प्रत्येक तिमाही में कम से कम 1 बार किये जाने वाले भ्रमण के दौरान रेशम उपयोजना के भी 5% कार्यों का परीक्षण अनिवार्यतः किया जायेगा।

6.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने क्षेत्राधीन ग्राम पंचायतों में रेशम उपयोजना के 100% कार्यों की समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण आयोजना तथा क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करायेंगे। वे स्वयं भी रेशम उपयोजना के कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे।

6.2 सहायक विकास विस्तार अधिकारी तथा ग्राम सहायक 15 दिवस में कम से कम एक बार किये जाने वाले भ्रमण के दौरान उन्हें आवंटित ग्राम पंचायतों में रेशम उपयोजना के कार्यों के अनुमोदन, प्रशासकीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति तथा क्रियान्वयन की शत–प्रतिशत मॉनिटरिंग अनिवार्यतः करेंगे।

6.3 क्वालिटी मॉनिटर द्वारा रेशम उपयोजना के कार्यों की मॉनिटरिंग विशेषकर तकनीकी पहलुओं के संदर्भ में की जायेगी।

6.4 उपरोक्तानुसार विभिन्न स्तरों पर की गई मॉनिटरिंग के निष्कर्षों के अभिलेख संबंधित स्तर पर अनिवार्यतः संधारित किये जायेंगे।

6.5 रेशम उपयोजना के कार्यों की प्रगति की जानकारी **अनुलग्नक – 3** में दर्शाये गये प्रपत्र में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार ''रेशम उपयोजना'' की आयोजना व क्रियान्वयन हेतु समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

हस्ता/–
(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
एवं विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. /22/वि–7/एन.आर.ई.जी./2007 भोपाल, दि. /06/2007

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त, रेशम संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संभागीय आयुक्त, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, चम्बल, जबलपुर, सागर, उज्जैन एवं रीवा।
3. परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार योजना जिला पंचायत श्योपुर, छतरपुर, मंडला, शहडोल, बालाघाट, शिवपुरी, बैतूल, खरगोन, सिवनी, डिण्डोरी, टीकमगढ़, खण्डवा, धार, झाबुआ, बड़वानी, सतना, सीधी, उमरिया, गुना अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा, छिन्दवाड़ा, देवास, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, राजगढ़ एवं कटनी (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ता/–
(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
एवं विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अनुलग्नक– 1

शहतूत वृक्षारोपण
(एक एकड़ पौधरोपण की इकाई लागत)

वर्षा आधारित – उन्नत प्रजाति

क्रमांक	कार्य विवरण	इकाई	दर	राशि	
				सामग्री	मजदूरी
1	तैयार कलमों की कीमत (पॉलिथिन बेग में)	1200 sapling	1.5	800	800
2	जमीन की साफ सफाई	10 md	61.37	0	614
3	गहरी जुताई	3 hours	400	1200	0
4	गोबर खाद / कम्पोस्ट	200 cft	8.00	1600	0
5	रासायनिक खाद			1500	0
6	दीमक प्रकोप के लिये लिन्डेन	bag	300	300	0
7	लेआउट बनाना	5 m.d.	61.37	0	307
8	पौधरोपण हेतु गड्ढा खुदाई / नाली खुदाई	75 md	61.37	0	4603
9	गोबर खाद देना तथा पौधरोपण	30 m.d.	61.37	0	1840
10	पहली निंदाई तथा हल्की गुड़ाई	20 m.d.	61.37	0	1227
11	रासायनिक खाद देना	6 md	61.37	0	370
12	दूसरी निंदाई तथा हल्की गुडाई	20 m.d.	61.37	0	1227
13	तीसरी निंदाई तथा थाला बनाना	20 m.d.	61.37	0	1227
	कुल योग			**5400**	**12215**
दूसरे वर्ष रखरखाव					
1	गोबरखाद	200 cft	8.00	1600	0
2	बेसल डोस रसायनिक खाद			1500	0
3	निंदाई , प्रूनिंग तीन बार	60 m.d.	61.37	0	3682
4	गहरी गुडाई	50 md	61.37	0	3069
5	फेलपिट्स भरना	200 sapling		380	120
	कुल योग			**3480**	**6871**
तीसरे वर्ष रखरखाव					
1	गोबरखाद	200 cft	8.00	1600	0
2	बेसल डोस रसायनिक खाद			1500	0
3	निंदाई , प्रूनिंग तीन बार	60 m.d.	61.37	0	3682
4	गहरी गुडाई	50 md	61.37	0	3069
	कुल योग			**3100**	**6751**
चतुर्थ वर्ष रखरखाव					
1	गोबरखाद	200 cft	8.00	1600	0
2	बेसल डोस रसायनिक खाद			1500	0
3	निंदाई , प्रूनिंग तीन बार	60 m.d.	61.37	0	3682
4	गहरी गुडाई	50 md	61.37	0	3069
	कुल योग			**3100**	**6751**

नोट– मजदूरी दरें परिवर्तनशील हो सकती है ।

सिंचाई आधारित – उन्नत प्रजाति

क्रमांक	कार्य विवरण	इकाई	दर	राशि	
				सामग्री	मजदूरी
1	तैयार कलमों की कीमत	5600sapling	1.0	5600	0
2	जमीन की साफ सफाई	10 md	61.37	0	614
3	गहरी जुताई	3 hours	400	0	1200
4	गोबर खाद / कम्पोस्ट	400 cft	8.00	3200	0
5	रासायनिक खाद			2500	0
6	दीमक प्रकोप के लिये लिन्डेन	bag	300	300	0
7	लेआउट बनाना	5 m.d.	61.37	0	307
8	पौधरोपण हेतु गड्ढा खुदाई / नाली खुदाई	124 md	61.37	0	7614
9	गोबर खाद देना तथा पौधरोपण	40 m.d.	61.37	0	2455
10	पहली निंदाई तथा हल्की गुड़ाई	30 m.d.	61.37	0	1841
11	रासायनिक खाद देना	6 md	61.37	0	370
12	दूसरी निंदाई तथा हल्की गुडाई	30 m.d.	61.37	0	1841
13	तीसरी निंदाई तथा थाला बनाना	30 m.d.	61.37	0	1841
	कुल योग			**11600**	**18083**
दूसरे वर्ष रखरखाव					
1	गोबरखाद	400 cft	8.00	3200	0
2	बेसल डोस रसायनिक खाद			2500	0
3	निंदाई , प्रूनिंग तीन बार	90 m.d.	61.37	0	5523
4	गहरी गुडाई	40 md	61.37	0	2455
5	फेलपिट्स भरना	per sapling	1.50	0	1680
	कुल योग			**5700**	**9658**
तीसरे वर्ष रखरखाव					
1	गोबरखाद	400 cft	8.00	3200	0
2	बेसल डोस रसायनिक खाद			2500	0
3	निंदाई , प्रूनिंग तीन बार	90 m.d.	61.37	0	5523
4	गहरी गुडाई	40 md	61.37	0	2455
	कुल योग			**5700**	**7978**
चतुर्थ वर्ष रखरखाव					
1	गोबरखाद	400 cft	8.00	3200	0
2	बेसल डोस रसायनिक खाद			2500	0
3	निंदाई , प्रूनिंग तीन बार	90 m.d.	61.37	0	5523
4	गहरी गुडाई	40 md	61.37	0	2455
	कुल योग			**5700**	**7978**

नोट– मजदूरी दरें परिवर्तनशील हो सकती है ।

शहतूत नर्सरी विकास की इकाई लागत

क्षेत्र एक एकड़

क्रमांक	कार्य विवरण	इकाई	दर	राशि	
				सामग्री	मजदूरी
1.	क्षेत्र की साफ सफाई	10 md	61.37	0	614
2	जमीन की गहरी जुताई	4 hours	400	1600	0
3	नर्सरी बेड तैयार करना तथा खाद मिलाना / पॉलीथिन बेग की कीमत तथा बायोमास भरना	108 man day	61.37	0	6628
4	गोबर खाद / कम्पोस्ट	500 cft	8.00	4000	0
5	आवश्यक रेत की मात्रा	500 cft	6.00	3000	0
6	आवश्यक रासायनिक खाद			500	0
7	राज्य के अन्दर मलबरी टहनियों / रॉ मटेरियल की व्यवस्था तथा परिवहन	6 MT	2600	16000	0
8	मलबरी कटिंग तैयारी	65 m.d.	61.37	0	3990
9	बेड में कलम लगाना	110 md	61.37	0	6751
10	दो निंदाई तथा गुड़ाई	220 m.d.	61.37	0	13501
11	रासायनिक खाद डालना	20 m.d.	61.37	0	1227
12	सिंचाई	50 md	61.37	0	3070
13	बिजली / डीजल व्यय	0	0	3000	0
14	मलबरी कलमों को उखाड़ना	110 m.d.	61.37	0	6751
	Grant Total - Rs 70632/-			**28100**	**42532**

नोट– मजदूरी दरें परिवर्तनशील हो सकती है ।

मलबरी कलमों की मूल्य गणना

1	कुल रोपित कलमें	196000
2	60 प्रतिशत जीवितता के आधार पर संभावित कलमें	117600
3	नर्सरी विकास पर कुल संभावित व्यय	Rs 70632
4	प्राप्त कलमों की इकाई लागत	Rs 0.60

शहतूत वृक्षारोपण की प्रक्रिया

वर्षा आधारित पौधरोपण

1. भूमि का चयन

समतल भूमि शहतूत पौधरोपण के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है यदि यह ढालू भी हो तो यह 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये, जिसमें प्रक्षेत्रीय मेड़ बंधान बनाई जा सके। चूंकि शहतूत गहरी जड़ का बहुवर्षीय पौधा है अतः मिट्टी की गहराई कम से कम 2 से 3 फीट होनी चाहिये। यह मिट्टी निकास युक्त दोमट, बलुई दोमट, लाल मुरूमयुक्त दोमट हो सकती है। मिट्टी का पी.एच. सामान्यतः 6.5 से 7.5 तक उपयुक्त रहता है।

2. पौधरोपण सुरक्षा

शहतूत की पत्तियों को जानवर चाव से खाते है , अतः इनकी सुरक्षा के लिये कटीले तारों की सुरक्षा / फैसिंग की जानी अत्यन्त आवश्यक है ।

3. भूमि तैयारी

वर्षा आधारित पौधरोपण के लिये आवश्यक है कि भूमि की तैयारी पूर्ण तकनीक से की जावे ताकि वर्षा का अधिक से अधिक जल संरक्षण किया जा सके । गर्मी प्रारम्भ होने के पूर्व पूरे क्षेत्र में 30 से 35 सेन्टीमीटर गहरी जुताई की जानी चाहिये तथा उसे ऐसे ही खुला छोड़ देना चाहिये ताकि गर्मियों में मृदाजनित हानि कारक कीटाणु व खरपतवार नष्ट हो जावें । मानसून प्रारम्भ होने पर दोबारा जुताई करनी चाहिये ताकि बड़े बड़े ढेले टूटकर समतल हो जावें । भूमि पर सुविधाजनक प्लाट के लिये मेढ़बन्दी भी कर ली जावे ताकि वर्षा का जल अधिक से अधिक सुरक्षित रहे । एक एकड़ क्षेत्र में पौधरोपण हेतु 200 घनफीट गोबरखाद / कम्पोस्ट की आवश्यकता होगी ।

4. प्रजाति का चयन

वर्षा आधारित पौधरोपण के लिये लाल मिट्टी हेतु एम–5 , तथा एस–13 एवं काली मिट्टी हेतु एस–34 अनुशंसित है। पौधरोपण की सफलता के लिये कम से कम 4 माह पुराने पौधे का पौधरोपण किया जाना चाहिये । स्थानीय आवश्यकता के आधार पर

स्वसहायता समूह , शहतूत की रोपणी / नर्सरी भी तैयार कर आजीविका सृजन कर सकते है।

5. पौधरोपण का तरीका

पौधों के बीच की दूरी 6'x6' अन्तराल पर होना चाहिये । पौधरोपण 1.2'x1.2'x1.2' के गड्ढे खोदकर किया जाना चाहिये। एक एकड़ क्षेत्र में लगभग 1200 गड्ढे खोदे जा सकते है। प्रत्येक गड्ढों में 2 किलोग्राम गोबरखाद/कम्पोस्ट तथा 4 किलोग्राम जमीन की उपरी मिट्टी मिलाकर डालनी चाहिये। यदि मिट्टी में दीमक की संभावना हो तो लिण्डेन/नीमखली का भी उपयोग किया जा सकता है।पौधरोपण के समय 10:10:10 किलोग्राम प्रतिएकड़ की दर से नाइट्रोजन,फास्फेट तथा पोटाश की मात्रा देनी चाहिये।

6. पौधों की प्रारम्भिक देखभाल

पौधरोपण वर्षा प्रारम्भ होने के बाद तुरन्त कर देना चाहिये ताकि लगभग दो माह का वर्षाजल पौधे की बढ़त के लिये प्राप्त हो सके । बरसात के बाद यदि एक सिंचाई माह अक्टूबर में हो सके तो और भी उत्तम होगा यह सिंचाई पास के जलस्त्रोत से पानी लाकर की जा सकती है । एक माह बाद निंदाई तथा हल्की गुड़ाई का कार्य किया जाना चाहिये । तीसरे महिने में दूसरी निंदाई तथा 10 किलोग्राम नाइट्रोजन का उपयोग किया जाना चाहिये । बारिश समाप्त होने के पश्चात पौधों के आसपास हल्की गुड़ाई कर मिट्टी का थाला इस प्रकार बना देना चाहिये कि आगामी महिनों में होने वाली वर्षा से जल इनमे एकत्रित हो सके । पौधों को सीधा बढ़ने के लिये शाखाओं की आवश्यक छंटाई भी करनी चाहिये ।

7. दूसरे वर्ष से पौधों की देखभाल

दूसरे वर्ष से पौधों को मानसून सीजन में कम से कम दो बार मानक अनुसार रासायनिक खाद देनी चाहिये । मानसून प्रारम्भ होने पर 200 घनफीट खाद अनिवार्यतः पौधों को दी जावे । वर्ष में 4 बार निंदाई व गुड़ाई की जावे । यदि पत्तियों में बीमारी परिलक्षित हो रही हो तो इसकी रोकथाम की जानी चाहिये । यदि गर्मियों में पौधों के बीच ट्रेंच खोदकर सूखी पत्तियां मल्च कर दी जावे तो इससे जल संरक्षण होगा जो कि पौधों की वृद्धि के लिये आवश्यक है ।

सिचांई आधारित पौधरोपण

1. भूमि का चयन

समतल भूमि शहतूत पौधरोपण के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है यदि यह ढालू भी हो तो यह 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये, जिसमें प्रक्षेत्रीय मेड़ बंधान बनाई जा सके। चूंकि शहतूत गहरी जड़ का बहुवर्षीय पौधा है अतः मिट्टी की गहराई कम से कम 2 से 3 फीट होनी चाहिये। यह मिट्टी निकास युक्त दोमट, बलुई दोमट, लाल मुरूमयुक्त दोमट हो सकती है। मिट्टी का पी.एच. सामान्यतः 6.5 से 7.5 तक उपयुक्त रहता है।

2. पौधरोपण सुरक्षा

शहतूत की पत्तियों को जानवर चाव से खाते है , अतः इनकी सुरक्षा के लिये कटीले तारों की सुरक्षा / फैसिंग की जानी अत्यन्त आवश्यक है ।

3. भूमि तैयारी

वर्षा आधारित पौधरोपण के लिये आवश्यक है कि भूमि की तैयारी पूर्ण तकनीक से की जावे ताकि वर्षा का अधिक से अधिक जल संरक्षण किया जा सके । गर्मी प्रारम्भ होने के पूर्व पूरे क्षेत्र में 30 से 35 सेन्टीमीटर गहरी जुताई की जानी चाहिये तथा उसे ऐसे ही खुला छोड़ देना चाहिये ताकि गर्मियों में मृदाजनित हानि कारक कीटाणु व खरपतवार नष्ट हो जावें । मानसून प्रारम्भ होने पर दोबारा जुताई करनी चाहिये ताकि बड़े बड़े ढेले टूटकर समतल हो जावें । भूमि पर सुविधाजनक प्लाट के लिये मेढ़बन्दी भी कर ली जावे ताकि वर्षा का जल अधिक से अधिक सुरक्षित रहे । एक एकड़ क्षेत्र में पौधरोपण हेतु 400 घनफीट गोबरखाद / कम्पोस्ट की आवश्यकता होगी ।

4. प्रजाति का चयन

सिचांई आधारित पौधरोपण के लिये एम–5, एस–36 एवं वी–1 प्रजाति अनुशंसित है। पौधरोपण की सफलता के लिये कम से कम 4 माह पुराने पौधे का पौधरोपण किया जाना चाहिये । स्थानीय आवश्यकता के आधार पर स्वसहायता समूह , शहतूत की रोपणी / नर्सरी भी तैयार कर आजीविका सृजन कर सकते है , जिसके मानकों हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे है। ऐसे स्थान जहां पर पानी की कमी हो वहां ड्रिप सिंचाई लगानी चाहिये ।

5. पौधरोपण का तरीका

पौधों के बीच की दूरी 5'x3'x2' अन्तराल पर होना चाहिये । पौधरोपण 1.2'x1.2'x1.2' के गड्ढे खोदकर किया जाना चाहिये । एक एकड़ क्षेत्र में लगभग 5600 गड्ढे खोदे जा सकते है । प्रत्येक गड्ढों में 2 किलोग्राम गोबरखाद / कम्पोस्ट तथा 4 किलोग्राम जमीन की उपरी मिट्टी मिलाकर डालनी चाहिये । यदि मिट्टी में दीमक की संभावना हो तो लिण्डेन / नीमखली का भी उपयोग किया जा सकता है । पौधरोपण के समय 10:10:10 किलोग्राम प्रतिएकड़ की दर से नाइट्रोजन , फास्फेट तथा पोटाश की मात्रा देनी चाहिये । गड्ढों के स्थान पर 1.2'x1.2' की नालियां बनाकर तथा उनमें बायोमास भरकर भी पौधरोपण किया जा सकता है । पौधरोपण हेतु 4 माह पुराने नर्सरी के पौधे उपयोग किये जाने चाहिये।

6. पौधों को आकार देना

चूंकि मलबरी का पौधा 15 से 20 वर्ष तक पत्तियां देता है , अतः उचित प्रबन्धन के लिये पौधों को संतुलित आकार देना अत्यन्त आवश्यक है । पौधरोपण के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर 15 सेमी. की उंचाई पर काट देना चाहिये इसके पश्चात 6 माह बाद जमीन से 25 सेंमी पर पौधों की शाखाओं को इस प्रकार काटा जावे ताकि उनमें 3 से 4 मजबूत शाखाएं लगी रह सकें । सारांशतः यह प्रयास करना होगा कि पौधे का मुख्य तना जमीन से लगभग 30 सेंमी. उंचा तथा मोटा रहे ताकि उसके उपर से निकलने वाली शाखाओं से अधिकाधिक पत्तियां उपयोग हेतु ली जा सके ।

7. पौधों को उचित सिंचाई

पौधरोपण के पश्चात वर्षा समाप्त होने पर सिचांई प्रारम्भ करनी होगी । रेतीली मिट्टी में सप्ताह में एक बार तथा काली मिट्टी में 8–10 दिन के अन्तराल से सिंचाई की जानी चाहिये । यदि पानी की कमी हो तो ड्रिप सिंचाई लगानी चाहिये ।

8. पौधों को खाद की अनिवार्यता

चूंकि मलबरी का पौधा 15 से 20 वर्ष तक पत्तियां देता है एवं रेशम पालन के लिये 4–5 बार पत्तियों की कटाई होती है अतः निर्धारित मानक अनुसार खाद दी जानी चाहिये । पौधरोपण के समय 400 घन फीट गोबर खाद तथा निंदाई व गुड़ाई की जावे। यदि पत्तियों में बीमारी परिलक्षित हो रही हो तो इसकी रोकथाम की जानी

चाहिये । पौधों के बीच में हरी खाद उगाकर मल्च की जा सकती है ताकि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होवे । मानक अनुसार पौधरोपण के समय तथा बाद में रासायनिक खाद का उपयोग भी किया जावे । समय–समय पर मिट्टी की जांच करवाकर उसमें कम हो रहे खनिज तत्वों व सूक्ष्म पोषक तत्वों की भरपाई भी की जानी चाहिये ।

9. पौधों की उचित देखभाल

पौधरोपण के पश्चात सिंचाई , निंदाई, खाद देना ,इत्यादि समय पर करना चाहिये ताकि अच्छी किस्म की पत्ती उत्पादित हो सके । पौधों के आसपास गुड़ाई , तथा वर्ष में कम से कम दो बार गहरी गुड़ाई अवश्य करनी चाहिये ताकि जमीन की उर्वरता बढ़ती रहे ।

शहतूत पौधों की नर्सरी तैयार करने की प्रक्रिया

1. पौधरोपण हेतु शहतूत की कलमें तैयार करना

पौधों की उचित गुणवत्ता हेतु उनकी नर्सरी तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है । हालाकि शहतूत कलमों को टहनी काटकर भी प्रगुणित किया जा सकता है किन्तु नर्सरी लगाने के निम्न लाभ है –

क. पौधरोपण हेतु कलमें कम लगती है

ख. पौधों का स्थायित्व तेजी से होता है

ग. असफलता की संभावना कम होती है

घ. जड़ों का विकास अच्छा होता है

वर्षा आधारित पौधरोपण के लिये कलमों का विकास पॉलिथीन थैलियों में किया जाता है तथा सिंचाई आधारित कलमों का विकास खुले बेड में करते है । कलमों के व्यावसायिक उत्पादन से स्वसहायता समूहों को ग्राम स्तर पर जोड़ा जा सकता है ।

नर्सरी तैयार करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है –

स्थल चयन

जमीन की गहराई कम से कम 45 से.मी. होना चाहिये जिसमें पानी का निकास आसानी से हो सके। स्थल पर सिंचाई की सुविधा अनिवार्य है ।

पौधरोपण सामग्री

कलमें लगाने के शहतूत की टहनियों की मोटाई 1 से 1.5 सेमी. तथा लम्बाई 15 से 20 सें.मी. होना चाहिये जिसमें 3–4 कलिकायें हों । चयन की गई प्रजाति में अन्य प्रजातियों का मिश्रण नहीं होना चाहिये । ली गई टहनी के बीच वाले हिस्से का उपयोग किया जाना चाहिये । काटते समय तेज धार के हथियार से कलमें काटना चाहिये । प्राप्त कलमों को यथा सम्भव एक से दो दिन के अन्दर उपयोग कर लेना चाहिये ।

नर्सरी लगाने का तरीका

3x1.2 मीटर के बेड बनाने चाहिये जिसमें लगभग 30 सेंमी की गहराई तक मिट्टी नरम होनी चाहिये । यदि मिट्टी काली है तो उसमें रेत भी मिलाई जानी चाहिये । नर्सरी का कार्य माह अक्टूबर , नवम्बर से माह मार्च तक लिया जा सकता है । एक एकड क्षेत्र में नर्सरी तैयार करने के लिये 500 घनफीट गोबरखाद ,और यदि आवश्यक हो तो 500 घनफीट रेत की व्यवस्था की जानी चाहिये। वर्षा आधारित नर्सरी के लिये पॉलिथिन थैलियों में बायोमास (गोबरखाद + मिट्टी + रेत) भरना चाहिये तथा खुले बेड में गोबरखाद तथा रेत मानक अनुसार मिलाई जाना चाहिये । एक एकड़ क्षेत्र में लगभग 1083 बेड बनाये जा सकते है । खुले बेड में कलमें 20x10 सेन्टीमीटर के अन्तराल पर लगाई जानी चाहिये जो कि एक बेड में लगभग 180 कलमें आएंगी । कलम लगाने के पूर्व उन्हें डायथेन एम 45 ,के 0.1 प्रतिशत घोल में 30 मिनिट तक तथा बाविस्टिन के 0.2 प्रतिशत घोल में 10 से 15 मिनिट के लिये डूबोकर रखना चाहिये । वी–1 कलमों में अंकुरण प्रतिशत कम रहता है अतः उन्हें नथ्थलीन एस्टिक एसिड ग्रोथ हार्मोन की मानक सांद्रता पर भी डूबोना चाहिये ।

नर्सरी का संधारण

लगाई गई कलमों में 10 से 12 दिन के बाद अंकुरण प्रारम्भ होता है । जिससे 75 से 80 प्रतिशत कलमों में पत्तियां आना शुरू होती है । अतः सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये । एक महिने के बाद तथा दूसरे महिने में दो बार निंदाई की जानी चाहिये । जब पौधों की उंचाई 20 से 25 सें.मी. उंची हो जाए तो दूसरी निंदाई के बाद प्रति बेड 300 ग्राम यूरिया सिंचाई के साथ देना चाहिये । पत्तियों पर परिलक्षित बिमारियों के लिये आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये ।

कलमों को बेड से उखाड़ना तथा परिवहन

सामान्यतः 3 से 4 माह के अन्तराल में नर्सरी कलमों की उंचाई 3 से 4 फीट हो जाती है और उन्हें परिवहन किया जा सकता है । कलमों को उखाड़ने के पूर्व बेड्स में सिंचाई की जानी चाहिये तथा एक तरफ से गड्ढा खोदकर तथा कलमों को खोलकर सावधानीपूर्वक उन्हें निकालना चाहिये । उखडी हुई कलमों को छाया में भीगे बोरों से

ढंक कर रखना चाहिये । तैयार कलमों को बण्डल में बांध कर सुबह अथवा शाम को परिवहन करना चाहिये ताकि उनमें मृत प्रतिशत कम से कम हो ।

निम्नतम 60 प्रतिशत जीवित पौधों के आधार पर एक एकड़ से एक चक्र में लगभग 120000 कलमें प्राप्त की जा सकती है ।

अनुलग्नक – 3

रेशम उपयोजना की प्रगति

(राशि रू. लाख में)

क्र.	विकासखण्ड का नाम	उपयोजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कार्यों का विवरण							उपयोजना के अंतर्गत रिपोर्टिंग माह के अंत तक की प्रगति						वृक्षारोपण से संबंद्ध किये गये स्वसहायता समूहों की संख्या
		शासकीय/सामुदायिक/पंचायत भूमि पर शहतूत का वृक्षारोपण			निजी भूमि पर चिन्हित हितग्राहियों हेतु शहतूत का वृक्षारोपण				शासकीय/सामुदायिक/पंचायत भूमि पर शहतूत का वृक्षारोपण			निजी भूमि पर चिन्हित हितग्राहियों हेतु शहतूत का वृक्षारोपण			
		रोपित किये जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या	वृक्षारोपण की कुल लागत	चिन्हित हितग्राहियों का संख्या	रोपित किये जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या	वृक्षारोपण की कुल लागत	रोपित किये जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	रोपित किये गये पौधों की संख्या	वृक्षारोपण पर व्यय राशि	रोपित किये जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	रोपित किये गये पौधों की संख्या	वृक्षारोपण पर व्यय राशि	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1															
2															
3															
..															
..															
योग															

नोटः कृपया योग अवश्य अंकित करें।